प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

न्यायपीठ : **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं**

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 954/1993

दिलेश्वर प्रसाद एवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(वर्तमान में छतीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचारार्थ।
हस्ताक्षरित/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हुँ।

हस्ताक्षरित/-
(मुख्य न्यायाधीश)

निर्णय हेतु नियत किया गया : 13/04/2011

हस्ताक्षरित/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

न्यायपीठ : **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं**

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 954/1993

अपीलार्थी

1 दिलेश्वर प्रसाद पिता दीनदयाल सतनामी, आयु 24 वर्ष

2 शिवकुमार पिता दीनदयाल सतनामी, आयु 30 वर्ष

3 इन्द्र कुँवर (विधवा) पति दीनदयाल, आयु 50 वर्ष

4 प्रेमलाल बंजारे पिता दीनदयाल, आयु 31 वर्ष

सभी निवासी - कराली, थाना पुलगाँव, जिला दुर्ग

बनाम

प्रत्यर्थी

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

द्वारा थाना प्रभारी, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित : अपीलार्थीगण की ओर से श्री पवन केशरवानी अधिवक्ता।

राज्य कि ओर से श्री जे.ए. लोहानी, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

13/04/2011

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया -

1. यह अपील प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 314/92 में पारित दिनांक 27 अगस्त, 1993 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी दिलेश्वर को भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 302, 324 एवं 323 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है तथा शेष अपीलार्थीओं को धारा 450/34, 302/34, 324/34 एवं 323/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है। सभी दोषसिद्ध व्यक्तियों को क्रमशः 5 वर्ष का कठोर कारावास, आजीवन कारावास, 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1 वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया गया है, साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि सभी दंड एक साथ चलेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कथित घटना दिनांक 23.05.1992 को सायं लगभग 7.00 बजे ग्राम करली में घटित हुई। अभियोजन का मामला यह है कि अपीलार्थी, घातक हथियारों से सुज्जित होकर, मृतक मणिकलाल के घर में बलपूर्वक प्रवेश कर गए तथा उस पर टंगिया एवं लाठी से प्राणघातक हमला किया। मणिकलाल को अनेक चोटें आईं, जिनके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। घटना को चार चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा देखा गया, जिनमें सरजूराम (आ.सा.-4/मृतक का भाई), बुधवंतिन बाई (आ.सा.-5/मृतक की माता), मान सिंह (आ.सा.-3/मृतक का एक अन्य भाई) तथा मोंगरा बाई (आ.सा.-6/सरजूराम, आ.सा.-4 की पत्नी) शामिल हैं। उक्त घटना में सरजूराम (आ.सा.-4), बुधवंतिन बाई (आ.सा.-5) एवं मान सिंह (आ.सा.-3) को भी चोटें आईं। घटना की प्रतिवेदन मोंगरा बाई (आ.सा.-6) द्वारा की गई, जिसके आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी/31) दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी द्वारा पंचों को सूचना (प्रदर्श.पी/16)

दी गई तथा मृतक मणिकलाल के शव का पंचनामा प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी/17) तैयार किया गया। तत्पश्चात मृतक के शव को जिला चिकित्सालय, दुर्ग में शव परीक्षण हेतु आवेदन पत्र (प्रदर्श.पी/32) के माध्यम से भेजा गया।

शव परीक्षण डॉ. आर. एन. तुर्रे (आ.सा.1) द्वारा किया गया, जिन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:-

i. सिर के मध्य भाग में 1 इंच × 1/2 इंच का खरोंच (एब्रेज़न), तथा ललाट क्षेत्र में कंट्यूज़न
ii. ललाट अस्थि (फ्रंटल बोन) में 7 से.मी. का फ्रैक्चर
iii. चोट क्रमांक (i) के समीप दो छोटी खरोंचें।

डॉ. आर.एन. तुर्रे (आ.सा.-1) की राय में उपरोक्त चोटें कठोर एवं बोथरे वस्तु से उत्पन्न हुई थीं तथा मृत्यु का कारण सिर की चोट से उत्पन्न कोमा था और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी/1) है। सरजूराम (आ.सा.-4) का चिकित्सीय परीक्षण डॉ. वीरभद्र सिंह बघेल (आ.सा.-2) द्वारा किया गया, उसके शरीर पर 3 कटे हुए घाव तथा 1 फटा हुआ घाव पाया गया। उनकी चोट प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी/5) है। बुधवंतिन बाई (आ.सा.-5) का भी परीक्षण किया गया, जिनकी दाहिनी गर्दन (सर्वाइकल क्षेत्र) में सूजन एवं कोमलता पाई गई। उनकी चोट प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी/14) है। मान सिंह (आ.सा.-3) का भी परीक्षण किया गया, जिनके शरीर पर 1 खरोंच तथा 3 कंट्यूज़न पाए गए। उनकी चोट प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी/12) है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घायल व्यक्तियों को एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी गई थी, किंतु किसी भी अस्थि-क्षति से संबंधित कोई प्रतिवेदन अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई। सामान्य विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग-पत्र उपरोक्त चारों अपीलार्थीओं के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को विचारण हेतु सक्षम सत्र न्यायालय को उपार्पित किया। तत्पश्चात स्थानांतरण के माध्यम से यह प्रकरण प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के समक्ष प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण उपरांत अपीलार्थीओं को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया।

3. अपीलार्थीओं की दोषसिद्धि का आधार सरजूराम (आ.सा.-4), बुधवंतिन बाई (आ.सा.-5), मान सिंह (आ.सा.-3) तथा मोंगरा बाई (आ.सा.-6) के चक्षुदर्शी साक्ष्य को बनाया गया है। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा यह तथ्यात्मक निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है कि अपीलार्थीओं ने मृतक की हत्या करने की समान आशय के अग्रसरण में उसके आवास-गृह में अनाधिकृत प्रवेश किया, उसके साथ घातक हमला कर उसकी हत्या की तथा उक्त आपराधिक कृत्य के निष्पादन के दौरान सरजूराम (आ.सा.-4), बुधवंतिन बाई (आ.सा.-5) एवं मान सिंह (आ.सा.-3) को साधारण प्रकृति की चोटें कारित कीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थीओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पवन केशरवानी ने यह सशक्त तर्क प्रस्तुत किया कि सरजूराम (आ.सा.-4) एवं मान सिंह (आ.सा.-3) मृतक के सगे भाई हैं, बुधवंतिन बाई (आ.सा.-5) मृतक की जननी हैं तथा मोंगरा बाई (आ.सा.-6) सरजूराम (आ.सा.-4) की पत्नी हैं। इस प्रकार उक्त समस्त साक्षी मृतक के अत्यंत निकट संबंधी होने के कारण हितबद्ध साक्षी हैं। अतः विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा उनके कथनों पर विश्वास करके गंभीर विधिक त्रुटि कारित किया है।

5. **नामदेव बनाम राज्य महाराष्ट्र, ए.आई.आर.2007 एस.सी.डब्ल्यू.1835** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि कोई साक्षी मात्र इस आधार पर कि वह मृतक अथवा अपराध के पीड़ित का संबंधी है, "हितबद्ध साक्षी" की संज्ञा से अभिहित नहीं किया जा सकता। "हितबद्ध" शब्द से आशय यह है कि साक्षी का अभियुक्त को किसी प्रकार से दोषसिद्ध

कराए जाने में कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हित, वैमनस्य अथवा अन्य किसी कपटपूर्ण उद्देश्य से प्रेरित स्वार्थ निहित हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि निकट संबंधी को स्वयमेव "हितबद्ध साक्षी" नहीं माना जा सकता, बल्कि वह एक "प्राकृतिक साक्षी" होता है। तथापि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक एवं सूक्ष्म परीक्षण किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसे परीक्षण के उपरांत उसका साक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वभावतः संभाव्य तथा पूर्णतः भरोसेमंद पाया जाता है, तो मात्र ऐसे साक्षी के एकमात्र कथन के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। साक्षी का मृतक अथवा पीड़ित से निकट संबंध होना उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई वैध आधार नहीं है; अपितु सामान्यतः मृतक का निकट संबंधी वास्तविक अपराधी को बचाने तथा किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे रूप से फँसाने की अपेक्षा सबसे अधिक अनिच्छुक होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. **धरनीधर बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध अपीलें, (2010) 7 एस.सी.सी.759** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि ऐसा कोई कठोर एवं अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य कभी भी घटना के सच्चे साक्षी नहीं हो सकते अथवा वे सदैव न्यायालय के समक्ष असत्य कथन ही करेंगे। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मृतक का निकट संबंधी मात्र इस कारण से "हितबद्ध साक्षी" नहीं बन जाता। "हितबद्ध साक्षी" वह होता है, जो वैमनस्य, प्रतिशोध, शत्रुता अथवा पारिवारिक/संपत्ति विवाद आदि के कारण किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष बयान देता है, न कि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु। तथापि, हितबद्ध साक्षी के कथन को केवल इस आधार पर सर्वथा त्याज्य नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे स्वीकार करने से पूर्व गहन एवं सतर्क परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। जब ऐसे साक्षियों के कथनों को अन्य साक्षियों के बयान, विशेषज्ञ साक्ष्य

तथा प्रकरण की परिस्थितियाँ समर्थन प्रदान करती हों और साक्ष्य की शृंखला अभियुक्त के अपराधी होने की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करती हो, तब तथाकथित "हितबद्ध साक्षियों" के कथनों पर भी न्यायालय द्वारा विश्वास किया जा सकता है।

7. अन्य अनेक वादों में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मात्र साक्षी का मृतक अथवा पीड़ित से संबंध होना, उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कोई निर्णायक कारक नहीं है। सामान्यतः यह अधिक संभाव्य होता है कि कोई संबंधी वास्तविक अपराधी को संरक्षण प्रदान न कर किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या आरोप नहीं लगाएगा। यदि अभियुक्त द्वारा झूठे फँसाए जाने का प्रतिवाद लिया जाता है, तो उसके समर्थन में ठोस आधार स्थापित किया जाना आवश्यक होता है। ऐसे मामलों में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह साक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्ण एवं सूक्ष्म परीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि वह सुसंगत, ठोस एवं विश्वासयोग्य है अथवा नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अतः यह तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता कि मृतक के संबंधी साक्षियों के कथनों पर केवल इस आधार पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वे मृतक के निकट संबंधी हैं। तथापि, उनके साक्ष्य का यथोचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ परीक्षण किया जाना अपेक्षित है और यदि ऐसे परीक्षण के उपरांत उनका साक्ष्य विश्वसनीय एवं विश्वासार्ह पाया जाता है, तो दोषसिद्धि उनके ऐसे कथनों के आधार पर विधिसम्मत रूप से की जा सकती है।

9. उपर्युक्त विधिक सिद्धांतों के आलोक में अब यह न्यायालय अभियोजन के चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण करेगा, विशेषतः अपीलार्थीओं को आरोपित भूमिका के संदर्भ में।

10. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने निर्णय के कंडिका-7 के माध्यम से यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि सरजूराम (आ.सा.-4) मृतक मणिकलाल पर किए गए हमले का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं

है। उक्त निष्कर्ष में कोई विधिक दुर्बलता परिलक्षित नहीं होती, क्योंकि सरजूराम (आ.सा.-4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जब वह अपने घर पहुँचा, तब तक हमला समाप्त हो चुका था और उसने मृतक मणिकलाल को मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखा। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह भी अभिलिखित किया है कि घटना के पश्चात जब सरजूराम (आ.सा.-4) अपने घर पहुँचा, तब उस पर टंगिया से हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे उपर्युक्त चोटें आईं। उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से पूर्णतः समर्थित है तथा इसमें हस्तक्षेप का कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता।

11. मोंगरा बाई (आ.सा.-6) द्वारा सर्वप्रथम देहाती नालिशी (प्रदर्श.-पी/10) दर्ज कराई गई। यद्यपि उक्त देहाती नालिशी में उसने दिलेश्वर (अ-1), इन्द्र कुंवर (अ-3) एवं प्रेमलाल (अ-4) के नामों का उल्लेख किया है, तथापि उसने उसमें शिवकुमार (अ-2) का नाम अंकित नहीं किया। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श.-पी/31) देहाती नालिशी (प्रदर्श.-पी/10) के आधार पर ही पंजीबद्ध की गई है, फलस्वरूप शिवकुमार (अ-2) का नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में भी उल्लिखित नहीं है। इस चूक के संबंध में प्रतिपरीक्षण के दौरान उससे प्रश्न किया गया, जिस पर उसने यह बयान दिया कि उसने अपनी प्रतिवेदन में शिवकुमार का नाम बताया था तथा यदि वह अंकित नहीं है तो वह इसका कारण नहीं बता सकती। इसी प्रकार का स्पष्टीकरण उसने अपने केस डायरी कथन (प्रदर्श.-डी/4) में शिवकुमार (अ-2) के नाम के अभाव के संबंध में भी दिया। देहाती नालिशी एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन पुलिस को दी गई प्रारंभिक एवं प्रत्यक्ष सूचना थी, जो घटना की चक्षुदर्शी एवं स्वयं घर की सदस्य मोंगरा बाई (आ.सा.-6) द्वारा दी गई थी। ऐसी स्थिति में, यदि शिवकुमार (अ-2) का नाम न तो पुलिस को दी गई प्रारंभिक सूचना में तथा न ही उसके केस डायरी कथन में दर्ज है, तो हमारे मत में यह चूक अभियोजन के लिए घातक है तथा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शिवकुमार (अ-2) के संबंध में मोंगरा बाई (आ.सा.-6) का साक्ष्य संदेहास्पद हो जाता है।

12. बुधवंतिन बाई (आ.सा.-5), जो मृतक की माता हैं, ने अपने कथन में कहा कि घटना वाले दिन सभी अपीलार्थी उनके घर आए थे। प्रेमलाल (अ-4), शिवकुमार (अ-2) एवं दिलेश्वर (अ-1) के हाथों में टंगिया थी, जबकि इन्द्र कुंवर (अ-3) के हाथ में लाठी थी। उन्होंने विशेष रूप से यह कथन किया कि उनके पुत्र मणिकलाल पर प्रेमलाल (अ-4), दिलेश्वर (अ-1) एवं शिवकुमार (अ-2) द्वारा टंगिया से प्रहार किया गया, किंतु उन्होंने अपीलार्थी इन्द्र कुंवर (अ-3) के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आक्रामक कृत्य आरोपित नहीं किया। उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका-4 में यह भी स्वीकार किया कि सरजूराम (आ.सा.-4) मृतक मणिकलाल पर हुए हमले के समय घर में उपस्थित नहीं था, बल्कि वह बाद में वहाँ पहुँचा। अतः बुधवंतिन बाई (आ.सा.-5) के साक्ष्य से दो तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित होते हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) सरजूराम (आ.सा.-4) मृतक पर किए गए हमले का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है; एवं (2) इन्द्र कुंवर (अ-3) ने न तो मृतक पर तथा न ही अन्य घायल साक्षियों पर किसी प्रकार का हमला किया।

13. मान सिंह (आ.सा.-3), जो मृतक का एक अन्य भाई है, ने भी यह बयान दिया कि सरजूराम (आ.सा.-4) उस समय घर पहुँचा जब मृतक पर किया गया हमला समाप्त हो चुका था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रेमलाल (अ-4), दिलेश्वर (अ-1) एवं शिवकुमार (अ-2) उनके घर में घुसे और उन्होंने मृतक पर हमला किया। यद्यपि उसने इन्द्र कुंवर (अ-3) की उपस्थिति का उल्लेख किया है, तथापि मृतक मणिकलाल पर किए गए हमले के संबंध में उसने इन्द्र कुंवर (अ-3) के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष कृत्य करने के बारे में नहीं बताया। इस तथ्य की पुष्टि उसने अपने

प्रतिपरीक्षण के कंडिका-12 में भी की है।

14. अभियोजन द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि ग्राम करली के उसी मोहल्ले में निवास करने वाले दोनों परिवारों के मध्य पूर्व से वैमनस्य चला आ रहा था। मान सिंह (आ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि पूर्व में अपीलार्थीओं की पहल पर उनके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि अपीलार्थीओं की प्रतिवेदन पर उनके विरुद्ध, अर्थात् मान सिंह (आ.सा.-3), उसकी माता बुधवंतिन बाई (आ.सा.-5), भाई सरजूराम (आ.सा.-4) एवं बहन मान बाई के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में दांडिक प्रकरण चलाया गया था, जिसमें उन्हें दोषसिद्ध ठहराते हुए प्रत्येक को रु.1,000/- के जुर्माने से दंडित किया गया था।

15. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के सम्यक् मूल्यांकन, विशेषतः उपर्युक्त चारों चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के परीक्षण के उपरांत, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शिवकुमार (अ-2) की घटनास्थल पर उपस्थिति अत्यंत संदेहास्पद है, क्योंकि उसका नाम न तो देहाती नालिशी में तथा न ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उल्लिखित है, जो कि चक्षुदर्शी मोंगरा बाई (आ.सा.-6) द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो स्वयं घर की सदस्य तथा मृतक के भाई की पत्नी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. जहाँ तक इन्द्र कुंवर (अ-3) के प्रकरण का प्रश्न है, यद्यपि उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति परिलक्षित होती है, तथापि मृतक पर किए गए हमले के संबंध में किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट अथवा प्रत्यक्ष आचरण आरोपित नहीं किया गया है। घटना की तिथि को इन्द्र कुंवर की आयु लगभग 50–51 वर्ष थी। ऐसी परिस्थिति में, जब उसके 3 पुत्र कथित रूप से मृतक के घर में झगड़े में संलग्न थे, उसका वहाँ पहुँचना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। मात्र घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वह अन्य अभियुक्तों

के साथ मिलकर उक्त अपराधों को अंजाम देने की सामान्य आशय की सहभागी थी। सामान्य आशय का अनुमान प्रकरण में स्थापित तथ्यों एवं परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। धारा 34 भारतीय दंड संहिता के सहारे अभियोजन को यह प्रतिपादित करना आवश्यक होता है कि अभियुक्तों के मध्य अपराध कारित करने हेतु पूर्व नियोजित योजना अथवा मस्तिष्कों का मिलन विद्यमान था, चाहे वह पूर्वनियोजित हो अथवा घटना के समय उत्पन्न हुआ हो, किंतु उसका अस्तित्व अपराध के घटित होने से पूर्व होना अनिवार्य है। यदि दो या अधिक व्यक्ति जानबूझकर किसी कृत्य को संयुक्त रूप से अंजाम देते हैं, तो विधि में उनकी स्थिति वही होती है, मानो प्रत्येक ने वह कृत्य व्यक्तिगत रूप से किया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध समान आशय के निर्धारण हेतु प्रकरण की समस्त परिस्थितियों की समग्रता में समीक्षा की जानी चाहिए। उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में इन्द्र कुंवर (अ-3) के प्रकरण का परीक्षण करने पर हमें ऐसा कोई ठोस एवं निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वह अन्य अभियुक्तों के साथ सामान्य आशय साझा किया था। अतः इन्द्रा कुंवर (अ-3) को धारा 34 भारतीय दंड संहिता के सहारे दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपर्युक्त कारणों के परिप्रेक्ष्य में हमारा मत हैं कि चारों अपीलार्थीओं में से शिवकुमार (अ-2) एवं इन्द्र कुंवर (अ-3) दोषमुक्त किए जाने के पात्र हैं। शिवकुमार (अ-2) की घटनास्थल पर उपस्थिति अत्यधिक संदेहास्पद पाई गई है तथा इन्द्र कुंवर (अ-3) के विरुद्ध धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि हेतु अपेक्षित ठोस साक्ष्य से स्थापित नहीं हो सका है।

18. उपर्युक्त कारणों से यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी शिवकुमार (अ-2) एवं इन्द्र कुंवर (अ-3) के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाते हैं तथा उन्हें उनके विरुद्ध आरोपित समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वे वर्तमान में जमानत पर

हैं; अतः उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूति को उन्मोचित किया जाता है।

19. चूँकि अपीलार्थी दिलेश्वर (अ-1) एवं प्रेमलाल (अ-4) की ओर से प्रस्तुत अपील में हम कोई सार नहीं पाते हैं, अतः उनके संबंध में प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार उसे खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

(मुख्य न्यायाधीश)

हस्ताक्षरित/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : किरण साहू (अधिवक्ता)